

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-62/2020-21

छोटानागापुर कास्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

कामेश्वर महतो बनाम खेमी देवी

24.11.20

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

कामेश्वर महतो पिता-स्व० नन्दलाल महतो,
ग्राम-बी० नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, प्रखण्ड-राहे,
सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

खेमी देवी पति-श्री बानेश्वर महतो, ग्राम-पारमडीह
टोला नरसिंह कोचा, पो०-वी० नवाडीह,
प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी,
पेशा-गृहणी कार्य।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री शिव शंकर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-29/09/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता खेमी देवी पति-श्री बानेश्वर महतो, ग्राम-पारमडीह टोला नरसिंह कोचा, पो०-वी० नवाडीह, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी कार्य, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुरुडीह	सोनाहातु/73	50	1125	12 डी० चौहददी:- उ०-रामेश्वर महतो। द०-हलधर महतो। पू०-गोरो महतो। प०-धनेश्याम महतो।
			1123	12 डी०

				चौहद्दी:- उं०-ज्योति महतो। द०-हलधर महतो। पू०-ज्योति महतो। प०-सोरी देवी।
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-828(ii) दिनांक-18/11/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत शीखर महतो वो जीतराए महतो पे० चैतन महतो वो रोहीना महतो वल्द जगना महतो के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता पंजी-II रैयत के पुत्र है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम अमृत महतोईन है। तथा रैयत के पास कुल रकबा-9.17 ए० भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2018-19 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन III (काएमी) किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-8.93 ए० भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो सोनाहातु थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता कामेश्वर महतो पिता-स्व० नन्दलाल महतो, ग्राम-बी० नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, प्रखण्ड-राहे, सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, को क्रेता खेमी देवी पति-श्री बानेश्वर महतो, ग्राम-पारमडीह टोला नरसिंह कोचा, पो०-वी० नवाडीह, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी कार्य, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-29/09/2020 को निर्गत आम सूचना का जामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई अपति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता कामेश्वर महतो पिता-स्व० नन्दलाल महतो, ग्राम-बी० नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, प्रखण्ड-राहे, सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, को क्रेता खेमी देवी पति-श्री बानेश्वर महतो, ग्राम-पारमडीह टोला नरसिंह कोचा, पो०-वी० नवाडीह, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी कार्य, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुरुडीह	सोनाहातु/73	50	1125	12 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-रामेश्वर महतो। द०-हलधर महतो। पू०-गोरो महतो। प०-धनेश्याम महतो।
			1123	12 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-ज्योति महतो। द०-हलधर महतो। पू०-ज्योति महतो। प०-सोरी देवी।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।